आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Social Welfare and Social Education Department

Mukhyamantri Konya Bibaha Yojana (MKBY)

त्रिपुरा सरकार अंत्योदय परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कन्या के विवाह पर एक बार 50,000 रुपये की मदद देती है, हर परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को।

क्या मिल सकता है

अंत्योदय परिवार की हर पात्र कन्या को विवाह के लिए एक बार 50,000 रुपये की सहायता। विवाह होने की पुष्टि उपखंड मजिस्ट्रेट करते हैं, उसके बाद राज्य सरकार यह राशि देती है। एक अंत्योदय परिवार की अधिकतम दो कन्याओं को मदद मिल सकती है।

किसके लिए है

त्रिपुरा के अंत्योदय परिवारों की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कन्याएँ जिनका विवाह हो रहा है और वर की उम्र 21 वर्ष या अधिक है।

मुख्य शर्तें

- विवाह की तारीख पर वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- वधू राज्य के अंत्योदय डेटाबेस में दर्ज अंत्योदय परिवार की होनी चाहिए।
- विवाह का पंजीकरण विवाह स्थल पर या समारोह के तुरंत बाद होना चाहिए।
- सहायता एक कन्या को केवल एक बार मिलती है और एक अंत्योदय परिवार की दो से अधिक कन्याओं को नहीं।
- वधू और वर दोनों को लिखित घोषणा देनी होगी कि उनका कोई जीवित जीवनसाथी नहीं है या पिछला विवाह तलाक से कानूनी रूप से समाप्त हो चुका है।

दस्तावेज़

- वधू का आधार कार्ड और PRTC
- वधू का आयु प्रमाण: जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
- वधू के परिवार का अंत्योदय राशन कार्ड, पते के प्रमाण के रूप में
- वधू और वर की घोषणा कि कोई जीवित जीवनसाथी नहीं है या कानूनी तलाक हो चुका है
- वधू और वर के पासपोर्ट आकार के फोटो
- वर का आधार कार्ड और पते का प्रमाण
- वर का आयु प्रमाण: जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. वधू या उसके कानूनी अभिभावक परिवार के रहने के क्षेत्र के सबसे नज़दीकी बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) कार्यालय में कागज़ी आवेदन जमा करें।
2. दिशानिर्देश में बताए गए वधू और वर दोनों के कागज़ात साथ लगाएँ।
3. CDPO आवेदन की जाँच करके उसे मिलने के 15 दिन के भीतर उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजते हैं।
4. विवाह की पुष्टि होने पर उपखंड मजिस्ट्रेट 50,000 रुपये जारी करते हैं। आवेदन अस्वीकार होने पर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर के पास एक अंतिम अपील की जा सकती है, जो उसे 10 दिन में निपटाते हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://socialwelfare.tripura.gov.in/sites/default/files/Gezette_Notification_with_Scheme_Details_Mukhyamantri_Konya_Bibaho_Yojana_MKBY.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/tripura/tr-mukhyamantri-konya-bibaha-yojana/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।